राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग
निदेशालय जलग्रहण विकास एवं भू संरक्षण, राजस्थान जयपुर

क्रमांकः एफ17(197) निजभूस/आई.डब्ल्यू.एम.पी./2014/2423-2493 दिनांकः20/5/2014

परिपत्र

विषयः— आई.डब्ल्यू.एम.पी. योजनान्तर्गत फसल पद्धति प्रदर्शन हेतु दिशा निर्देश।

प्रसंगः— निदेशालय के पत्र क्रमांक एफ17(197) निजभूस/आई.डब्ल्यू.एम.पी./2012/5146—5226 दिनांक 13.08.2012 के क्रम में (संशोधन)।

आई.डब्ल्यू.एम.पी. योजनान्तर्गत वर्षा आधारित क्षेत्र में फसल उत्पादन एवं कृषकों की आय में वृद्धि हेतु फसल पद्धति प्रदर्शन कार्यक्रम हेतु निम्नानुसार दिशा निर्देश जारी किये जाते है। इस कार्यक्रम में निम्नानुसार तीन फसल पद्धतियों का चयन किया गया है:—

1. अनाज आधारित फसल पद्धतिः— राज्य में मक्का, ज्वार एवं बाजरा मुख्य रूप से मोटे अनाज वाली फसलें हैं परन्तु वर्षा आधारित क्षेत्रों में इनकी उत्पादकता अपेक्षाकृत कम है। इस कार्यक्रम में मक्का—चना/सरसों/जौ/गेहूँ, बाजरा—चना/सरसों/जौ/गेहूँ तथाज्वार—चना/सरसों/जौ/गेहूँ फसल पद्धति को अपनाया जावें।
2. दलहन आधारित फसल पद्धतिः— राज्य में दलहनी फसलों का अधिकतम क्षेत्रफल वर्षा आधारित है। दलहनी फसलों की उत्पादकता बढाने के लिये मोठ/मूंग/ग्वार/चवला—चना/सरसों/गेहूँ/जौ फसल पद्धति को अपनाया जावें।
3. तिलहन आधारित फसल पद्धतिः— राज्य में सोयाबीन, मूंगफली, तिल एवं अरण्डी मुख्य तिलहन है। सोयाबीन आधारित फसल पद्धति में सोयाबीन—चना/सरसों/धनीया/गेहूँ फसल पद्धति को अपनाया जावे। अरण्डी आधारित फसल पद्धति में अरण्डी—चना/सरसों/जीरा/जौ/गेहूँ/चारा फसल पद्धति को अपनाया जावे।

लाभार्थी का चयनः

- लाभार्थी का चयन पीआईए द्वारा जलग्रहण समिति से चर्चा करके किया जावें।
- लघु एवं सीमान्त, अनुसूचित जाति एवं जनजाति तथा महिला कृषकों को प्राथमिकता दी जावें।
- चयनित कृषकों की सूचना संलग्न प्रपत्र—1 में जलग्रहण समिति तथा पीआईए के स्तर पर संधारित की जावें तथा एक प्रति संबंधित वाटरशेड सेल कम डाटा सेन्टर को प्रेषित की जावें।

आई.डब्ल्यू.एम.पी. से सहायताः

- अनाज एवं दलहन आधारित फसल पद्धतियों के अन्तर्गत प्रदर्शनों के आयोजन कृषि आदान (बीज, उर्वरक/खाद, पादप सूक्ष्म पौषक तत्व (जिंक, लोहा आदि), पौधे संरक्षण रसायन एवं खरपतवार नाशी आदि) के लिए सहायता देय होगी जो आदानों की वास्तविक लागत या अधिकतम रूपये 5000/— प्रति हैक्टयर की दर से प्रति लाभार्थी अधिकतम 2 हैक्टयर की सीमा तक देय होगी।
- सहायता राशि पूर्ण वित्तीय वर्ष (खरीफ व रबी) में आयोजित किये जाने वाले प्रदर्शनों के लिये है।
- तिलहन आधारित फसल पद्धतियों के अन्तर्गत प्रदर्शनों के आयोजन कृषि आदान (बीज, उर्वरक/खाद, पादप सूक्ष्म पौषक तत्व (जिंक, लोहा आदि), पौधे संरक्षण रसायन एवं खरपतवार नाशी आदि) के लिए सहायता देय होगी जो आदानों की वास्तविक लागत या अधिकतम रूपये 7500/— प्रति हैक्टयर की दर से प्रति लाभार्थी अधिकतम 2 हैक्टयर की सीमा तक देय होगी।

- सामान्य तथा अनुसूचित जाति/जनजाति के लाभार्थी को लागत का क्रमशः 20 प्रतिशत तथा 10 प्रतिशत अंशदान के रूप में डब्ल्यू.डी.एफ. में जमा करानी होगी।
- विभिन्न फसलों में आदानों की प्रति हैक्टयर सांकेतिक मात्रा एवं लागत प्रपत्र–2 व 3 पर संलग्न है, परन्तु वास्तविक लागत या निर्धारित अधिकतम राशि की सहायता ही देय होगी।

आदानों की व्यवस्थाः–

- बीज– योजनान्तर्गत बीज की व्यवस्था राजस्थान राज्य बीज निगम या राष्ट्रीय बीज निगम (NSC) के द्वारा क्रय–विक्रय सहकारी समिति/ग्राम सेवा सहकारी समिति के माध्यम से की जावें।
- उर्वरक– रासायनिक उर्वरकों यथाः डीएपी, एसएसपी, यूरिया आदि की व्यवस्था राजफैड के माध्यम से क्रय–विक्रय सहकारी समिति/ग्राम सेवा सहकारी समिति के द्वारा की जावें।
- अन्य कृषि आदान– अन्य कृषि आदान यथा सूक्ष्म पोषक तत्व (जिंक, लोहा आदि), जैव उर्वरक, पौध संरक्षण रसायन की उपलब्धता क्रय–विक्रय सहकारी समिति/ग्राम सेवा सहकारी समिति के माध्यम से कृषि विभाग द्वारा अनुमोदित दरों पर कराई जावें।

अन्यः–

- प्रदर्शन आयोजन में समस्त तकनिकी कियाऐं एवं आदान यथा उन्नत बीज, उर्वरक, खाद, कीटनाशक, फफूंदनाशक, खरपतवारनाशी सूक्ष्म पौषक तत्व आदि का प्रयोग कृषि विभाग की तकनीकी सिफारिशानुसार किया जावें।
- चयन के पश्चात् कृषकों का प्रशिक्षण कार्यकम आयोजित किया जावें।
- सहायता जारी करने पूर्व परियोजना प्रबन्धक, वाटरशेड सेल कम डाटा सेन्टर संबंधित उप निदेशक, कृषि से आवेदन का तकनिकी परीक्षण करायेगे तथा यह सत्यापित करायेगे कि लाभार्थी द्वारा पूर्व में कृषि विभाग की अन्य योजना से अनुदान नहीं लिया गया है।
- चयनित कृषकों से फसल पद्धति अनुसार खेती करने हेतु सहमति पत्र प्राप्त किया जावें।
- प्रत्येक चयनित कृषकों को "लाभार्थी कार्ड" दिया जावें, जिसमें उसको दी गई समस्त सहायता एवं आय रिकार्ड की जावें। लाभार्थी कार्ड का प्रारूप प्रपत्र–4 पर संलग्न है।
- प्रदर्शन के परिणाम संलग्न प्रपत्र–5 में निदेशालय को भिजवाया जावे।
- परियोजना प्रबन्धक, वाटरशेड सेल कम डाटा, सेन्टर भौतिक एवं वित्तीय प्रगति की सूचना निर्धारित प्रपत्र–6 में प्रत्येक माह की 7 तारीख तक निदेशालय, जयपुर को आवश्यक रूप से भिजवाई जावें।
- सूक्ष्म पौषक तत्व, जैव उर्वरक, पौ–संरक्षण रसायन, खरपतवारनाशी आदि के प्रत्येक बैच का नमूना लेना है। नमूना मानक आने पर ही आपूर्तिकर्ता संस्था को भुगतान किया जावें। नमूना कृषि विभाग के निरिक्षकों के द्वारा आहरण करवाया जायें। यह पी.एम./पी.आई.ए. की व्यक्तिगत जिम्मेदारी होगी। अमानक नमूने का किसी भी परिस्थिति में भुगतान न कराया जाये।
- कृषि विभाग द्वारा वर्ष 2013–14 के लिये सूक्ष्म पौषक तत्व, जैव उर्वरक आदि की अनुमोदित दरों एवं अनुमोदित कम्पनियों का पत्र संलग्न है। इस वर्ष नवीन अनुमोदन प्राप्त होने तक यही पत्र कमांक 6150–6380 दिनांक 10-7-2013 मान्य होगा।

संलग्न : उपरोक्तानुसार।

20.5.14

(एम.एस.काला)
निदेशक
ज.ग्र.वि.एवं भूसं

क्रमांकः एफ17(197) निजभूस/आई.डब्ल्यू.एम.पी./2014/2423-2493 दिनांकः 20/5/2014

प्रतिलिपिः– सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. आयुक्त, कृषि विभाग, राज. जयपुर।
2. निजी सचिव, निदेशक, ज.ग्र.वि.एवं भू.सं., राज. जयपुर।
3. अति. निदेशक (IWMP) निदेशालय, जयपुर।
4. वित्तीय सलाहकार, निदेशालय, ज.ग्र.वि.एवं भूंसं जयपुर।
5. सयुंक्त निदेशक कृषि–I, सयुक्त निदेशक कृषि– III, एम.आई.ई.एस.(IWMP)/संयुक्त निदेशक (IWMP)/लिवलीहुड/प्रशिक्षण निदेशालय, ज.ग्र.वि.एवं भूंसं जयपुर।
6. परियोजना प्रबन्धक, वाटरशेड सेल कम डाटा सेन्टर, जिला परिषद समस्त को भेजकर लेख है कि परिपत्र की प्रति सभी संबंधित पी.आई.ए. को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें एवं परिपत्र के निर्देशानुसार आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करें।
7. उपनिदेशक (कृषि विस्तार) (समस्त) कृषि विभाग, ...।
8. ए.सी.पी. निदेशालय, जयपुर को भेजकर लेख है कि उक्त परिपत्र को विभागीय वेब साईट पर अपलोड करावें।

20/5/14

(एम.एस.काला)
निदेशक
ज.ग्र.वि.एवं भूंसं